

भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 793 जिसका उत्तर

गुरुवार, 17 सितंबर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है

विड्डींगम समुद्र पत्तन परियोजना

†793. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने केरल में विड्डींगम समुद्र पत्तन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को कब तक शुरू किया जाएगा?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): केरल सरकार ने अदानी विड्डींगम पोर्ट प्रा.लि. (एवीपीपीएल) के साथ अगस्त, 2015 में 40 वर्षों की शुरुआती रियायत अवधि के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन, अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विड्डींगम अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र की बहुउद्देशीय समुद्र पत्तन परियोजना का रियायत करार किया है। रियायत करार के अनुरूप परियोजना की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की गई है। केरल सरकार ने परियोजना की निगरानी करने और रियायत प्राप्तकर्ता को आने वाली अड़चनों, यदि कोई होती हैं, को दूर करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने एवं सहायता देने हेतु एक परियोजना कार्यान्वयन समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति भी गठित की है। उपरोक्त के अलावा, मुख्यमंत्री समय-समय पर इस परियोजना की समीक्षा करते हैं।

इस परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर, 2015 में शुरू हुआ था और परियोजना को दिसंबर, 2019 में पूरा किया जाना निर्धारित था। तथापि, ब्रेक वॉटर के निर्माण में विलंब होने के कारण, पत्तन परियोजना के पूरा होने में विलंब हुआ है। परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में केरल राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्य के कुछ बड़े घटकों जैसे 800 मीटर लंबी बर्थ का निर्माण, ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन, कंटेनर यार्ड और अनुषंगी सुविधाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है तथा ब्रेक वॉटर के निर्माण के साथ इन्हें पूरा किया जा सकता है। यह परियोजना वर्ष 2021-22 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।
